

प्रेस नोट दिनांक-26.05.2021

(1). आज दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स में विगत 06 माह से चल रहे प्रशिक्षण रिक्लूट आरक्षी नागरिक पुलिस आर0टी0सी0 की फाइनल रिहर्सल परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। 03.11.2020 से पुलिस लाइन्स चित्रकूट में 183 रिक्लूट आरक्षी नागरिक पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण उपरान्त रिक्लूट आरक्षियों की बाह्य एवं अन्तः विषयों की परीक्षा सम्पन्न करायी गयी, पृथक-पृथक विषयों की परीक्षाओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले रिक्लूट आरक्षियों को दिनांक 28.05.2021 को होने वाली फाइनल पासिंग आउट परेड में पुरुष्कृत किया जायेगा।

इस अवसर पर नोडल अधिकारी प्रशिक्षण अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्रधिकारी नगर/लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात निरीक्षक, आरटीसी प्रभारी उ0नि0(ए0पी0) हबीबउल्ला, आरटीसी मेजर आफाक खां एवं अन्य अधि0/कर्म0 उपस्थित रहे।

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 26.05.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रैपुरा व बांधी में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ, सब्जी मण्डी, रामलीला मैदान, शिवपुर तिराहा, बस स्टैण्ड व बाजार मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर व लूपलाइन चौराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, महिला थाना एंटी रोमियो टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रैफिक चौराहा, शम्भु पेट्रोल पम्प तिराहा में एवं चौकी सीतापुर क्षेत्र के राघवपुरी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कोलमजरा व कस्बा बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम किहुनिया में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में। उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा पैश्वनी नदी का पुल वहद ग्राम देवल से अभियुक्त (1) संजय तिवारी पुत्र रामशरण तिवारी (2) चन्द्रकान्त मिश्रा उर्फ चन्दू पुत्र कृष्ण औतार निवासीगण देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01-01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 -01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगी:-

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव
3. आरक्षी निशान्त भिलवाड़
4. आरक्षी दीपक विश्वकर्मा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव चौकी

प्रभारी जिलाकारागार तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम बूढा से अभियुक्त राजकिशोर पटेल पुत्र केशव प्रसाद पटेल निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 35 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

35 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री अजय कुमार यादव चौकी प्रभारी जिला कारागार
2. आरक्षी अतुल कुमार मिश्रा
3. आरक्षी धीरेन्द्र यादव

(5). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2036 थाना मारकुंडी अंतर्गत दिनांक 25/05/2021 को समय 09:58 बजे इवेंट संख्या 4848 द्वारा घटनास्थल टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुंडी से कॉलर चंद्रहास पाठक द्वारा सूचना दी गयी कि लगभग 09 वर्षीय एक नाबालिग बच्चा मिला है।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि एक नाबालिग बच्चा मिला है लड़का अपना नाम पता नहीं बता पा रहा था। पीआरवी कर्मि बच्चे को अपने साथ में लेकर कई ग्रामों में ले जाकर पहचान कराई गई लेकिन बच्चे के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो पायी। पीआरवी कर्मि बच्चे को लेकर ग्राम इटवा बगराहा गये। ग्राम बगराहा में ग्राम बरुआ थाना मझगवां मध्य प्रदेश से बारात आई थी। वहां पर जानकारी की गई तो पता चला कि बारात में आया हुआ एक बच्चा खो गया है जिसकी खोजबीन की गयी लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था। पीआरवी कर्मियों ने बच्चे के माता पिता को बुलवा कर पहचान कराई तो बच्चा तुरंत अपने माता पिता को देखकर उनसे लिपट गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा बच्चे संजय को सकुशल उसके पिता लल्लू और माँ सविता को सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर उसके माता पिता खुश हुए एवं ग्रामवासियों द्वारा पीआरवी कर्मियों की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना की।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर – मुख्य आरक्षी देवशरण

सब कमांडर – मुख्य आरक्षी मखमल सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री शिवशंकर पुत्र रामगोपाल निवासी रघुवंशी का डेरा थाना कोतवाली बांदा जनपद बांदा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री नीलम की शादी वर्ष 2015 में संजय पुत्र झगडू निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के साथ हुयी थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके दामाद संजय व ससुरालीजनों उनकी पुत्री को मारपीट करके घर से निकाल दिया उनकी पुत्र नीलम तभी से उनके घर पर रह रही है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भेजा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र 30नि0 श्री बैजनाथ यादव, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कई बार कार्यालय बुलाकर दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों में आज दिनांक 26.05.2021 को सुलह समझौता कराया गया। ससुराल पक्ष नीलम को अपने साथ ले जाने हेतु सहमत हो गये तथा भविष्य में कभी भी मारपीट न करने की बात कही गयी। परिवार परामर्श टीम द्वारा पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।